मण्डल:- बरेली,जनपद:- बरेली,तहसील:- आंवला

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 00421/2020

एल०पी०एस० ग्रुप एवं मैनेजमेंट का० द्वारा सचिव विवेक कुमार बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202012130200421

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 12/03/2020

अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद एल0पी0एस0ग्रुप आफ इंस्टी0एण्ड मैनेजमेन्ट कालेज आंवला द्वारा सचिव विवेक कुमार वर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी लभारी तहसील आंवला जिला बरेली के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुआ। जिसमें कहा गया कि ग्राम पनवडिया परगना व तहसील आंवला के गाटा सं0 1 रकबा 2.440 है0 में से 5/12 भाग 1.016 है0 भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको प्रार्थी अकृषिक घोषित कराना चाहता है। अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार आंवला से स्थलीय जांच करायी गयी। तहसीलदार आंवला द्वारा दी गयी स्थलीय जांच आख्या दिनांक 04.01.2020 में इंगित किया गया है कि पनवडिया गाटा सं0 1/2.440है0 के 5/12 भाग 1.016है0 पर शिक्षण कार्य हेतु भवन निर्माणाधीन है, अृषिक घोषित किये जाने हेतु सभी अर्हताएं पूर्ण कर दी गयी हैं चालान व स्टाम्प संलग्न हैं। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित है।

मेरे द्वारा पत्रावली का परीक्षण किया गया। तहसीलदार आंवला की उक्त जांच आख्या एवं वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत गाटा सं0 1 रकबा 2.440 है0 में से 5/12 भाग 1.016 है0 भवन निर्माणाधीन है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के मूल्यांकन का 1 प्रतिशत 66100/- छियासठ हजार एक सौ रूपये चालान द्वारा बैंक में जमा कर दिये गये हैं, तथा इतनी ही धनराशि का कोर्ट फीस स्टाम्प दाखिल किया गया है। खातेदारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन धारा 116 उ0प्र0राजस्व संहिता के अन्तर्गत वाद सं0 टी 202012130200834 के द्वारा दिनांक 04.03.2020 को किया जा चुका है। न्यायहित में प्रश्नग भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार आंवला की आख्या दिनांक 04.01.2020 के आधार पर ग्राम पनवड़िया परगना व तहसील आंवला के खाता सं0 97 के गाटा सं0 1 रकबा 2.440है0 के सह खातेदार एल0पी0एस0ग्रुप आफ इन्स्टीट्यूट एण्ड मैनेजमेन्ट कालेज आंवला द्वारा सचिव विवेक कुमार वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्राम लभारी मजरा गुरगांवा मु0 तहसील आंवला जिला बरेली, जिनका वादग्रस्त भूमि गाटा सं0 1 रकबा 2.440है0 में 5/12 अंश 1.016है0 है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक को तथा दो प्रतियां तहसीलदार आंवला को खतौनी में अमलदरामद हेतु भेजी जायें। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

दिनांक 12.03.2020

12/3/20

(कमलेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी
आंवला।

मण्डल:- बरेली,जनपद:- बरेली,तहसील:- आंवला

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 00098/2020

विवक कुमार वर्मा सचिव एल॰पी॰एस॰ ग्रुप आफ इंस्टीटयूट एण्ड मनजमैन्ट कालेज ग्राम लभारी आंवला बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202012130200098

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 12/03/2020

अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद एल0पी0एस0ग्रुप आफ इंस्टी0एण्ड मैनेजमेन्ट कालेज आंवला द्वारा सचिव विवेक कुमार वर्मा पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी लभारी तहसील आंवला जिला बरेली के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुआ। जिसमें कहा गया कि ग्राम अलीनगर परगना व तहसील आंवला के गाटा सं0 513 रकबा 0.341 है0 में से 1/2 भाग 0.170 है0 भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको प्रार्थी अकृषिक घोषित कराना चाहता है। अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार आंवला से स्थलीय जांच करायी गयी। तहसीलदार आंवला द्वारा दी गयी स्थलीय जांच आख्या दिनांक 04.01.2020 में इंगित किया गया है कि अलीनगर गाटा सं0 513/0.341है0 के 1/2 भाग 0.170है0 पर शिक्षण कार्य हेतु भवन निर्माणाधीन है, अृषिक घोषित किये जाने हेतु सभी अर्हताएं पूर्ण कर दी गयी हैं चालान व स्टाम्प की प्रति संलग्न हैं। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या प्रेषित है।

मेरे द्वारा पत्रावली का परीक्षण किया गया। तहसीलदार आंवला की उक्त जांच आख्या एवं वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत गाटा सं0 513 रकबा 0.341 है0 में से 1/2 भाग 0.170 है0 पर भवन निर्माणाधीन है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के मूल्यांकन का 1 प्रतिशत 5700/- पांच हजार सात सौ रूपये चालान द्वारा बैंक में जमा कर दिये गये हैं, तथा इतनी ही धनराशि का कोर्ट फीस स्टाम्प दाखिल किया गया है। खातेदारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन धारा 116 उ0प्र0राजस्व संहिता के अन्तर्गत वाद सं0 टी 202012130200834 के द्वारा दिनांक 04.03.2020 को किया जा चुका है। न्यायहित में प्रश्नग भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार आंवला की आख्या दिनांक 04.01.2020 के आधार पर ग्राम अलीनगर परगना व तहसील आंवला के खाता सं0 333 के गाटा सं0 513 रकबा 0.341है0 के सह खातेदार एल0पी0एस0ग्रुप आफ इन्स्टीट्यूट एण्ड मैनेजमेन्ट कालेज आंवला द्वारा सचिव विवेक कुमार वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद निवासी ग्राम लभारी मजरा गुरगांवा मु0 तहसील आंवला जिला बरेली, जिनका वादग्रस्त भूमि गाटा सं0 513 रकबा 0.341है0 में 1/2 अंश अर्थात 0.170है0 है, को अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक को तथा दो प्रतियां तहसीलदार आंवला को खतौनी में अमलदरामद हेतु भेजी जायें। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

दिनांक 12.03.2020

T.C.

12/3/20

(कमलेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी
आंवला।